फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**किशनलाल वगैरह** विपक्षी :–**दोला वगैरह**

किस्म मुकदमा :– 136 एल.आर.एक्ट पत्रावली संख्या :–**142/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :–**2025/493**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 09.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया किग्राम पलानाकला की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में खाता संख्या 189 में प्रार्थीगणों की आराजी संख्या 82 से 116 कुल किता 32 रकबा 5.9406 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीगणों के पिता 1/14 हिस्से के खातेदार दर्ज रेकार्ड है।मिलान खसरा भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम पलानाकलां संवत् 2022–23 सन् 1965 में खसरा संख्या 82 से 116 कुल किता 32 रकबा 5.9406 हैक्टेयर में मूल पुरुष वेणा था। इसके आठ पुत्र कमशः 1. भजा 2. हीरा 3. भोला 4. कशोर 5. रोड़ा 6. भाना 7. लखुडा8. छगुड़ा दर्ज रेकार्ड थे। इसी भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भोला फोत हो गया जिसकी विरासत के जरिये निम्नानुसार प्रविष्टि अंकित हुई 1. भजा 2. हीरा 3. भोला के बजाय (अ) भवंरा (ब) पन्ना (स) खुमा (द) लोगर 4. कशोर 5. रोड़ा 6. भाना 7. लखुडा 8 छगुड़ा का अंकन हुआ। नकल मिलान खसरा साथ सलंग्न है। वर्तमान में भोला के चार पुत्रों में से दो पुत्र खुमा व लोगर फोत होने से (अ) भवंरा (ब) पन्ना एवं शेष 7 भाईयों के वारिसान् बचें है। नामान्तरण संख्या 444 एव, 445 दिनांक 20.01.1983 की प्रति साथ सलंग्न है।क्र.स. 8 खातेदार छगुडा का देहान्त होने एवं उसके वारिस मांगीलाल द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा तुलसीराम पिता केला भील को विक्रय किया। वर्तमान में तुलसीराम पिता केला भील का देहान्त होने से उसके वारिसान उक्त वाद में प्रार्थीगण है।भू प्रबन्ध के पश्चात सेग्रीगेशन के पूर्व तक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थे, किन्तु हिस्से दर्ज नही थे। वक्त सेग्रीगेशन 1. भजा 2. हीरा 3.भोला के बजाय (अ) भवंरा (ब) पन्ना 4. कशोर 5. रोड़ा 6. भाना 7. लखुड़ा 8. तुलसीराम भील हि.ब. दर्ज होने से (अ) भवंरा 1/4 हि. (ब) पन्ना 1/4 हि. व शेष (1) भजा 1/14 हि. (2) हीरा 1/14 [illegible] हि. (4) कशोर 1/14 हि. (5) रोड़ा 1/14 हि. (6) भाना 1/14 हि. (7) लखुड़ा 1/14 हि. (8) तुलसीराम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

1/14 हि. जाति भील दर्ज कर दिये गये। जो अशुद्ध है। चूंकि (अ) भवंरा 1/4 (ब) पन्ना 1/4 भोला के पुत्र है। अतः इन दोनों भाईयों का (अ) भवंरा 1/16 हि. (ब) पन्ना 1/16 हि. व शेष (1) भजा 1/8 हि. (2) हीरा 1/8 हि. (3). कशोर 1/8 हि. (4) रोड़ा 1/8 हि. (5) भाना 1/8 हि. (6) लखुड़ा 1/8 हि. (7) तुलसीराम 1/8 हि. जाति भील दर्ज होना चाहिए।यह कि वर्तमान में तुलसीराम पिता केला भील का देहान्त हो चुका है। उसके 8 वारीस है। चूंकि तुलसीराम का 1/8 हिस्सा बनता है जिससे उसके वारिसान जो कि उक्त वाद में प्रार्थीगण है, प्रत्येक के नाम 1/64 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। वेणा पिता रामा भील मूल पुरुष का सजरा खानदान रिपोर्ट साथ सलंग्न है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि भू–प्रबंध विभाग का खसरा मिलान पत्रक संवत 2023 के कॉलम संख्या 23 के अनुसार गत भूमाप में प्रकरण में वर्णित आराजीयात भजा, हिरा, भोला, किशोर, रोड़ा, भाना, लखूडा, छगुड़ा पिता वेणा के नाम दर्ज थी। कॉलम संख्या 24 हाल खातेदार के नाम दर्ज किया गया है। भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान ही भोला पिता वेणा का निधन हो जाने से उसके वारिसान भंवरा, पना, खुमा, लोगर का नाम दर्ज किया गया। भोला के वारिसान भंवरा, पना, खुमा, लोगर के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा दर्ज किया जाना था। परन्तु जमाबंदी में किसी भी खातेदार के हिस्से दर्ज नही किये गये केवल मात्र खातेदारो के नाम अंकित कर हि.ब. अंकित कर दिया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 444, 445 विरासत से खुमा, लोगर का हिस्सा भी भंवरा, पना के नाम दर्ज किया गया। वेणा के पुत्र छगुड़ा के निधन के पश्चात विरासत से भूमि उसके पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज हुई। मांगीलाल द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि में अपना 1/8 हिस्सा मानते हुए प्रार्थीगण के पिता तुलसीराम को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर दी। जो नामान्तकरण संख्या 1726 से मांगीलाल के बजाय तुलसीराम का नाम दर्ज किया गया। लेकिन जमाबंदी में हिस्सा दर्ज नही किया गया जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से 1/8 हिस्सा अंकित था। तत्पश्चात संग्रोगेशन का कार्य करते हुए जमाबंदी को ऑनलाईन किया गया, जिसमें हिस्से दर्ज नहीं किये गये। ऑनलाईन जमाबंदी में हिस्से दर्ज करते समय भोला के वारिसान के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

दिया गया। जबकि प्रकरण में वर्णित आराजीयात में भोला का 1/8 हिस्सा ही दर्ज था। ऐसे में भोला के वारिसान के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा ही दर्ज किया जाना था। उक्त त्रुटि को तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है। तहसीलदार घासा द्वारा वेणा के वारिसान का संशोधित हिस्सा भी प्रस्तावित किया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सेग्रीगेशन के दौरान जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे को ऑनलाईन किया जाना था। जिसमे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया जाना था अर्थात साबिक जमाबंदी एवं साबिक नक्शे अनुसार ही ऑनलाईन किया जाना था। जमाबंदी में हिस्से दर्ज नही होने से राजस्व कर्मचारियो को गत रिकॉर्ड का अवलोकन कर हिस्से निकालकर वेणा के सभी वारिसान का सही हिस्सा दर्ज करना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा गत रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना ही अपने मनमुताबिक हिस्से दर्ज कर दिये गये जो कि न्यायोचित नही है। इसलिए तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित हिस्से अनुसार संशोधित किया जाना उचित है। परन्तु साथ ही न्यायालय का यह भी मानना है कि जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता तुलसीराम का नाम दर्ज है। ऐसे में तुलसीराम का तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित हिस्से अनुसार सही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत प्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज नही की जा सकती है, इसके लिए प्रार्थीगण को नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण पारित करवाना होगा। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 किता 32 कुल रकबा 5.9406 हैक्टेयर भूमि में केसूलाल पिता लोगर 1/448, गुलाबीबाई पुत्री लोगर 1/448, गेहरीलाल पुत्र लोगर 1/448, छगनीबाई पुत्री लोगर 1/448, नानालाल पुत्र लोगर 1/448, प्यारी[illegible] लोगर 1/448, रूपलाल पुत्र लोगर 1/448, हुडीबाई पुत्री लोगर 1/4[illegible] जालमा पुत्र रोड़ा 1/56, डालु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

	पुत्र रोड़ा 1/56, रामा पुत्र रोड़ा 1/56, पन्ना पुत्र भोला 1/4, भंवरा पुत्र भोला 1/4, रूपा पुत्र लखुड़ा 1/28 रहनः– एस.बी.बी.जे. शाखा पलानाखुर्द, चेना पुत्र लखुडा 1/28 रहनः उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, नाथी पत्नि हीरा 1/112, भूरी पत्नि हीरा 1/112, सोहन पुत्र हीरा 1/56, गंगा पुत्र हीरा 1/56, भेरा पुत्र मेगा 1/168, राजू पुत्र मेगा 1/168, सीता पुत्री मेगा 1/168, नारू पुत्री जीता 1/98, भुरालाल पुत्र जींता 1/98, शंकर पुत्र जीता 1/98, सायरीबाई पुत्री जीता 1/98, सायलीबाई पत्नि जीता 1/98, हीमा पुत्र जीता 1/98, कालु पुत्र जीता 1/98, गोकल पुत्र भाना 1/42 रहन– आईसीआई बैंक घासा, पेमा पुत्र भाना 1/42 रहनः– एसबीबीजे शाखा पलानाखुर्द, सुड़की पुत्री भाना 1/42, मोड़ी राम पुत्र किशोर 1/70 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, चुनकी पुत्री किशोर 1/70 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, नारायण लाल पुत्र किशोर 1/70 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, हेमली पुत्री किशोर 1/70 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, रमली पुत्री किशोर 1/70 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, तुलसीराम पुत्र केला 1/14 दर्ज है **के बजाय**केसूलाल पिता लोगर 1/256, गुलाबीबाई पुत्री लोगर 1/256, गेहरीलाल पुत्र लोगर 1/256, छगनीबाई पुत्री लोगर 1/256, नानालाल पुत्र लोगर 1/256, प्यारीबाई पुत्री लोगर 1/256, रूपलाल पुत्र लोगर 1/256, हुडीबाई पुत्री लोगर 1/256, जालमा पुत्र रोड़ा 1/32, डालु पुत्र रोड़ा 1/32, रामा पुत्र रोड़ा 1/32, पन्ना पुत्र भोला 1/16, भंवरा पुत्र भोला 1/16, रूपा पुत्र लखुड़ा 1/16 रहनः– एस.बी.बी.जे. शाखा पलानाखुर्द, चेना पुत्र लखुडा 1/16 रहनः उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, नाथी पत्नि हीरा 1/64, भूरी पत्नि हीरा 1/64, सोहन पुत्र हीरा 1/32, गंगा पुत्र हीरा 1/32, भेरा पुत्र मेगा 1/96, राजू पुत्र मेगा 1/96, सीता पुत्री मेगा 1/96, नारू पुत्री जीता 1/56, भुरालाल पुत्र जींता 1/56, शंकर पुत्र जीता 1/56, सायरीबाई पुत्री जीता 1/56, सायलीबाई पत्नि जीता 1/56, हीमा पुत्र जीता 1/56, कालु पुत्र जीता 1/56, गोकल पुत्र भाना 1/24 रहन– आईसीआई बैंक घासा, पेमा पुत्र भाना 1/24 रहनः– एसबीबीजे शाखा पलानाखुर्द, सुड़की पुत्री भाना 1/24, मोड़ी राम पुत्र किशोर 1/40 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, चुनकी पुत्री किशोर 1/40 रहनः–उदयपुर जिला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, नारायण लाल पुत्र किशोर 1/40 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, हेमली पुत्री किशोर 1/40 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, रमली पुत्री किशोर 1/40 रहनः–उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० उदयपुर, तुलसीराम पुत्र केला 1/8 संशोधन किये जाने के आदेश दिए जाते है।

साथ ही प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है उनके पिता के निधन हो जाने से नियमानुसार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर विरासत का नामान्तकरण पारित करवाने के लिए स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested